1

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—232 / 2017</u> संस्थित दिनांक—06.06.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

// <u>विरुद्ध</u> //

फूलिसंह पिता घुरोसिंह, उम्र—40 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम बंजरटोला, कुर्सीटोला चरेगांव, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — **अभियुक्त**

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक–31.10.2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—04.05.2017 को समय 12:00 बंजरटोला, कुर्सीटोला चरेगांव परसवाड़ा में फरियादी पाहपसिंह को लोकस्थान पर मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी के बांए हाथ के अंगूठे को मुंह में भरकर काटकर फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पाहपसिंह ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—04.05.2017 को दिन के 12:00 बजे फरियादी का भाई फूलसिंह उइके शराब पीकर घर आया था और जमीन हिस्से बंटवारे की बात को लेकर फरियादी को मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियां देने लगा था, जिसे फरियादी ने गालियां देने से मना किया था, तो अभियुक्त ने फरियादी के डेरे हाथ के अंगूठे को अपने मुंह में भरकर चाब दिया

था, तब फरियादी के पुत्र ब्रजलाल ने बीच–बचाव किया था, 100 नंबर की गाड़ी को फोन लगाने का बोला था, तब अभियुक्त फूलसिंह कहने लगा था कि रिपोर्ट करोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी ने उसकी पत्नी झामोबाई को गांव के पटेल कुंवरसिंह उईके को खबर देने भेजा था। गांव के पटेल कुंवरसिंह के आने पर फरियादी ने घटना की जानकारी पटेल को देकर फरियादी उसके पुत्र ब्रजलाल एवं गांव पटेल कुंवरसिंह के साथ रिपोर्ट करने गया था। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक–62/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था, तब अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-04.05.2017 को समय 12:00 बंजरटोला, कुर्सीटोला चरेगांव परसवाड़ा में फरियादी पाहपसिंह के बांए हाथ के अंगूठे को मुंह में भरकर काटकर फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-पाहपसिंह अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 6 माह पूर्व की दिन के 12:00 बजे की है। उक्त साक्षी का अभियुक्त से जमीन के हिस्से की बात को लेकर विवाद हो गया था एवं झूमा-झटकी हो गई थी। इस कारण उसने अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बैहर में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी का मेडिकल परीक्षण कराया था। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, राजीनामा करने के कारण ने फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के

कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। पाहपसिंह अ.सा.1 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पाहपसिंह के बांए हाथ के अंगूठे को मुंह में भरकर काटकर फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। 🐔

- प्रकरण में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- प्रकरण में अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें। 8-

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट

